कार्यालय नियंत्रक, नाप तौल, म.प्र. भोपाल

क्रमांक 403/नातौ/अ–3/2006, भोपाल दिनांक 25.01.2006

प्रति,

समस्त उप/सहायक नियंत्रक,
नाप तौल, म.प्र.

विषयः– अनुज्ञप्तिधारी सुधारकों से प्रतिभूति राशि जमा कराने बावत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत बांट और माप मानक (प्रवर्तन) नियम 12(7) ''अनुसूची–9'' जो संशोधित होकर दिनांक 1.4.2005 से लागू हुये है के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये जाने वाला प्रतिभूति निक्षेप निम्ननानुसार निर्धारित किया गया है :–

1. तौल माप के उपकरणां को अपवर्जित करते हुये बांटों और मापों का मिस्त्री रूपये 2500/–
2. तौल और माप के उपकरणों को सम्मिलित करते हुए बांटों और मापों का मिस्त्री रूपये 5000/–

उपरोक्त के संबंध में दिनांक 10.10.2005 को मुख्यालय में आयोजित विभागीय अधिकारियों की बैठक में विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि म.प्र. बांट और माप मानक (प्रवर्तन) नियम 1989 के संशोधन नियम अप्रैल 2005 के अनुसार प्रतिभूति की राशि राष्ट्रीय बचत पत्र (एन.एस.सी.) के रूप में जमा कराने के उपरांत ही नवीन अनुज्ञप्ति जारी की जावेगी। साथ ही सुधारक अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण प्रतिभूति की राशि जमा कराने के बाद ही मान्य किया जावेगा जिसके लिये निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

1. प्रतिभूति की राशि राष्ट्रीय बचत पत्र (एन.सी.सी.) के रूप में जमा कराई जावेगी। राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ.डी.(सावधिजमा) नियंत्रक/उपनियंत्रक/सहायक नियंत्रक कार्यालय के कैशियर के द्वारा संधारित किये जावेंगे।
2. राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ.डी. (सावधि जमा) अनुज्ञप्तिधारी के नाम से ही क्रय किये जावेंगे जो नियंत्रक/उपनियंत्रक/सहायक नियंत्रक नाप तौल के पक्ष में बंधक रखें जावेंगे।
3. नवीन सुधारक अनुज्ञप्ति स्वीकृति के उपरांत ही प्रतिभूति राशि प्राप्त की जावें।
4. प्रत्येक सुधारक अनुज्ञप्ति पर जिला अनुसार प्रतिभूति राशि जमा कराई जावे।

5. अनुज्ञप्तिधारी सुधारकों का अनुबंध समय–समाप्त होने पश्चात् प्रतिभूति नियंत्रक नाप तौल से अनुमति प्राप्त कर वापस/समायोजित की जावेगी।

नवीनीकरण प्रकरणों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही समयसीमा में की जाना सुनिश्चित की जावें। इस पत्र की अभिस्वीकृति भेजें।

नियंत्रक
नाप तौल, म.प्र. भोपाल

पृ.क्रं. 404/नातौ/अ–3/2006 भोपाल दिनांक, 25.01.06

प्रतिलिपि :–

समस्त निरीक्षक नात तौल मध्यप्रदेश की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत अनुज्ञाप्तिधारी सुधारकों से निर्देशानुसार प्रतिभूति राशि जमा कराने पश्चात् प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित उप/सहायक नियंत्रक नाप तौल को समयसीमा के अंदर प्रेषित करने का ध्यान रखें।

नियंत्रक
नाप तौल म.प्र. भोपाल